भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 380
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: आंध्र प्रदेश में पीकेवीवाई, पीएम-केएमवाई और एफपीओ का कवरेज

*__380. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः__

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पीएम-किसान-मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने की योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश के सभी जिले लाभार्थी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो जिलों में असमान कवरेज के क्या कारण हैं और सभी जिलों के किसानों को समान सुलभता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) पीकेवीवाई के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में जिला-वार, विशेषकर पलनाडु में कितने किसान संकुल बनाए गए हैं और कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है;

(घ) पीकेवीवाई के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत एफपीओ की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में पीएम-किसान मानधन योजना के अंतर्गत नामांकित और वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे किसानों की जिला-वार संख्या कितनी है?

__उत्तर__
__कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)__

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“आंध्र प्रदेश में पीकेवीवाई, पीएम-केएमवाई और एफपीओ का कवरेज” के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 380 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उललिखित विवरण।

(क) और (ख): प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई) केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 18 से 40 वर्ष के प्रविष्टि आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम 3000/-रुपए की मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है, जो अपवर्जन मानदंडों के अधीन है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उनकी वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में किसानों की प्रविष्टि आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि ₹ 55 से ₹ 200 प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में समान अंशदान प्रदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना का निधि प्रबंधक है। आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमकेएमवाई के तहत नामांकित किसानों का जिलावार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त) में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह योजना जैविक खेती कर रहे किसानों को उत्पादन से प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन तक संपूर्ण समर्थन पर बल देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए आपूर्ति श्रृंखला सृजित करने हेतु जैविक क्लस्टर बनाना है। पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 3 वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता किसानों को जैविक खाद सहित ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान की जाती है। मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 4,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण हेतु 3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टेयर 3,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 9,000/- रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। जैविक खेती से संबंधित जिला-वार सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक सामान्य नाम है, जो कंपनी अधिनियम के भाग IXA के तहत या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत निगमित / पंजीकृत किसान-उत्पादकों का संगठन है तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन और विपणन में इकॉनामी ऑफ स्केल के माध्यम से सामूहिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसान उत्पादक संगठनों की अवधारणा यह है कि किसान, जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं, स्वयं का समूह बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने

का कार्य कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (एसएफएसी) को सौंपा गया था। भारत सरकार, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन में राज्य सरकारों का समर्थन करेगी। आंध्र प्रदेश में पंजीकृत एफपीओ का जिलावार विवरण अनुबंध -2 में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2015-16 से दिनांक 30.06.2025 तक आंध्र प्रदेश में पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत क्लस्टरों की संख्या, कवर किया गया क्षेत्र और लाभान्वित किसानों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**क्लस्टरों की संख्या**	**क्षेत्र (हेक्टेयर में)**	**कुल किसान**
1	आंध्र प्रदेश	5415	3,60,805	7,46,976

तथापि, जैविक खेती की जिलावार सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(घ) आंध्र प्रदेश में पंजीकृत एफपीओ का जिलावार विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

(ङ) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई) का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया था और पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर वितरित की जाती है। आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमकेएमवाई के अंतर्गत नामांकित किसानों का जिलावार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

अनुबंध-1

दिनांक 13.08.2025 तक आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमकेएमवाई के अंतर्गत नामांकित किसानों का जिला-वार विवरण

#	जिला	नामांकित किसान
1	अनंतपुर	3114
2	कृष्णा	2521
3	एसपीएसआर नेल्लोर	1558
4	वाई.एस.आर.	1680
5	कुरनूल	5584
6	पूर्वी गोदावरी	1442
7	गुंटूर	2402
8	चित्तूर	4695
9	श्रीकाकुलम	2437
10	पश्चिम गोदावरी	880
11	प्रकाशम	2514
12	विशाखापट्टनम	1662
13	विजयनगरम	1893

अनुबंध-2

10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत जिलेवार एफपीओ का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	पंजीकृत एफपीओ की संख्या
1	अल्लूरी सीताराम राजू	31
2	अनकापल्ली	26
3	अनंतपुरमु	38
4	अन्नमय्या	30
5	बापतला	28
6	चित्तूर	32
7	पूर्वी गोदावरी	19
8	एलुरु	35
9	गुंटूर	20
10	काकीनाडा	20
11	कोनासीमा	23
12	कृष्णा	25
13	कुरनूल	28
14	नांदयाल	32
15	एनटीआर	20
16	पालनाडु	39
17	पार्वतीपुरम मान्यम	15
18	प्रकाशम	39
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	35
20	श्री सत्य साई	23
21	श्रीकाकुलम	30
22	तिरुपति	36
23	विशाखापत्तनम	4
24	विजयनगरम	28
25	पश्चिम गोदावरी	20
26	वाईएसआर कडपा	38
	कुल योग	**714**

*****